(5)

<u>प्रारूप–2</u>

ग्राम
ई–मेल

फोन
फैक्स

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)......उदयपुर......राजस्थान

संख्यांक : 152 दिनांक 30-7-12

प्रबन्धक,
श्री श्याम पब्लिक स्कूल
कोट

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 15-4-12 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं श्री श्याम पब्लिक स्कूल कोट (हिन्दी) को दिनांक 2012 से दिनांक 13-14 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 उच्च प्रा० स्तर तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनू
कार्यालय–आदेश

राज्य सरकार के पत्रकमांकः–प 9 (2) शिक्षा –5/2010 जयपुर दिनांक 7.2.2013 एवं 7.3.2013 की पालना में तथा श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रकमांकः–शिविरा–माध्य/मा/अ–2/21313/वो–1/2013–14 दिनांक 17-5-2013 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्न गैर सरकारी विद्यालयो को शैक्षणिक सत्र 2013–2014 मे निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है ।

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी ।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा ।
3. विधालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नही की जायगी
4. विधालय का नाम/भवन /वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय –समय पर प्रसारित आदेशो/नियमों/निर्देशो की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें ।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुलक और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है । अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी ।

उप्रावि से मावि में क्रमोन्नत

क0स0	नाम विधालय	माध्यम
1	श्री श्याम उप्रावि पचेरी बडी	हिन्दी
2	मणीधर पब्लिक स्कूल भोजासर	अंग्रेजी
3	श्री श्याम पब्लिक स्कूल कोट (उदयपुरवाटी)	हिन्दी
4	श्री नारायण पब्लिक स्कूल बागोरा	हिन्दी
5	इन्दिरा गांधी उप्रावि इस्लामपुर	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनू

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/झुं/निजी.वि.क्रमो./2013/1709 - 1713 दिनांक 22-05-13.

प्रतिलिपि

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग चूरू
5. संयोजक जिला समान परीक्षा ....
6. सबधित सचिव/ सस्था प्रधान ....
7. श्रीमान सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी झुंझुनूं को प्रेस विज्ञप्ति हेतु सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनूं

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(2) शिक्षा–5/2005 पार्ट दिनांक 05.07.2013 एंव निदेशक ध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक –शिविरा–मा/माध्य/अ–2/21313/13–14 दिनांक .07.2013 के द्वारा निम्न गैर राजकीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2013–14 में कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 निम्नलिखित शर्तो के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एंव नियम 1993 की पालना करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एंव बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नही की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशो/ नियमो/निर्देशो की पालना करनी होगी एंव वाछित सूचनाऐ/ अभिलेख उपलब्ध करवाने होगे।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 व कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 के संचालन की स्वीकृति वाले विद्यालय

क्र.स.	नाम विद्यालय	माध्यम	मान्यता सत्र 2013–14
1	श्री **श्याम** माध्यमिक विद्यालय, पचेरी बडी	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
2	अल–मदनी इस्लामिया गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल मौहल्ला काजीवाडा, झुंझुनूं	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
3	श्री **श्याम** पब्लिक स्कूल कोट, उदयपुरवाटी	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
4	श्री नारायण पब्लिक स्कूल बागोरा	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
5	ज्ञान सिन्धु पब्लिक सी.से. स्कूल, चिंडावा	हिन्दी	कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 कम्प्युटर विज्ञान (वाणिज्य)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, झुंझुनूं

क्रमांक :– जिशिअ/मा/झुं/शै0प्र0/2013/2427–2432 दिनांक :– 3-8-2013

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, चूरू।
5. सयोजक जिला समान परीक्षा ....।
6. संबंधित सचिव /संस्था प्रधान ....।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, झुंझुनूं